ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 78-80
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

उज्जैन जिले में जल जीवन मिशन की भूमिका का अध्ययन

संध्या सिंह

शोध केंद्र – शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन (म0प्र0), भारत

Received-19.01.2024, Revised-25.01.2024, Accepted-30.01.2024 E-mail: sandysingh0921@gmail.com

सारांश: *जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है। यह कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा, यथा–भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग। यह मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होगा। यहमिशन पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन सके।*

कुंजीभूत शब्द– व्यक्तिगत घरेलू नल, कनेक्शन, भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सामुदायिक दृष्टिकोण, सूचना, शिक्षा।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाको में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को कई किमी0 दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देख कर सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। जिन इलाकों में पानी नहीं है, वहाँ हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुँचाया जाएगा। इस मिशन को सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है।

जल जीवन मिशन का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है।इस योजना के माध्यम से राज्यों के जिन इलाकों में पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। इस स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा।

जल जीवन मिशन की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है।

जल जीवन मिशन वर्तमान की जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता को सुनिश्चित करके पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ–साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह मिशन संरक्षित जल के संयुक्त उपयोगय पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुनरूद्धार उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए जल समितियाँ ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख रखाव को सुनिश्चित करती हैं। जल समिति में 10–15 सदस्य होते हैं जिनमें कम–से–कम 50प्रतिशत महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), आँगनवाड़ी, शिक्षक आदि शामिल होते हैं। जल समितियाँ सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। इस योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है।

इस मिशन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बजट का प्रावधान हिमालय तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिये क्रमशः 90:10, अन्य राज्यों के लिये 50:50 है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों के मामलों में शत प्रतिशत योगदान केंद्र द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी के साथ अलग–अलग रूप में बजट को निर्धारित किया गया है जो जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए 5 वर्ष की अवधि के बजट को निम्न सूची में प्रदर्शित किया गया है :

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता

क्र.	वित्तीय वर्ष	योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता	राज्य सरकार की सहभागिता	कुल बजट की राशि
1	2019–20	20 करोड़ 798 लाख रूपए	15 करोड़ 202 लाख	36 करोड़ रूपए
2	2020–21	34 करोड़ 753 लाख	25 करोड़ 247 लाख	60 करोड़ रूपए
3	2021–22	58,करोड़ 011 लाख रूपए	41,करोड़ 989 लाख	100 करोड़ रूपए
4	2022–23	48,करोड़ 708 लाख रूपए	35,करोड़ 292 लाख	84,हजार करोड़ रूपए
5	2023–24	46,करोड़ 382 लाख रूपए	33,करोड़ 618 लाख	80,हजार करोड़ रूपए
योग		**2,08,652**	**1,51,348**	**3,60,000**

स्त्रोतः जल जीवन मिशन वार्षिक रिपोर्ट।

जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान दिया जाएगा। स्कीम के माध्यम से 6 करोड़ घरों में पानी पहुँचाया जाएगा। घरों में पहुंचाया जाने वाले जल का प्रयोग उम्मीदवार पीने के लिए भी कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सभी उम्मीदवारों को अपने घरों में ही पानी का कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा जिससे लाभार्थियों के समय की भी बचत होगी। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

क्षेत्रों को Functional Household Tap Connection उपलब्ध करवाना है। स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजानिक स्थानों पर भी जल कनेक्शन लगाए जाएंगे। अभी तक 65 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण इलाकों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

भारत, 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसके पास दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 4% ही है। इस तथ्य को देखते हुए, भारत दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में गिना जाता है। भारत में चिलचिलाती गर्मी, विनाशकारी सूखे और भयंकर बाढ़ को देखते हुए पानी एक बहुमूल्य वस्तु है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत के 712 जिलों में से दो–तिहाई जिले अत्यधिक पानी की कमी से प्रभावित हैं। इसके अलावा, 2011 की जनगणना के अनुसार, 29 प्रतिशत घरों में पीने के पानी की सुविधा का अभाव था।

पानी की कमी के साथ–साथ मुद्दा जल सुरक्षा का भी है। प्रतिवर्ष 37 मिलियन से अधिक लोग जल जनित रोगों से प्रभावित होते हैं। इनमें से अधिकतर बीमारियाँ गैर–पीने योग्य पानी के सेवन से होती हैं। भारत को जलजनित बीमारियों का सालाना लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बोझ उठाना पड़ता है। इस प्रकार, आजादी के बाद से पानी लगभग हर भारतीय की आजीविका के लिए एक गंभीर मुद्दा रहा है।

जहाँ जल संसाधनों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया, वहीं प्राणि मात्र के लिए जल सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कदम उठाये जाने के सुझाव दिये गये। वैश्विक जल संकट को मद्देनजर रखते हुए सम्पूर्ण विश्व में जल–सम्पदा के संरक्षण हेतु नई साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता है, तॉकि जल से जुड़ी सेवाओं का सही ढंग से निष्पादन कर पाना सम्भव हो सके।

वैश्विक जल संकट के परिप्रेक्ष्य में 12 से 15 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली (भारत) के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'विश्व में जल के सार्वभौमिक तथा विवेक सम्मत उपभोग' के लिए हुआ अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन में 76 देशों के 300 से भी अधिक वॉटर वारियर्स (अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जल के सार्वभौमिक उपयोग तथा सभी के लिए जल की सुलभता हेतु संघर्षरत कार्यकर्ताओं को वॉटर वारियर्स कहा जाता है) ने भाग लिया। इस इंटरनेशनल वॉटर कान्फ्रेंस की मुख्य बातें यहाँ बिन्दुवार प्रस्तुत हैं :

- पेयजल मनुष्य का मौलिक अधिकार है तथा इस अधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी स्थान पर जल का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। जल संसाधन का व्यवसायीकरण सम्पूर्ण विश्व के लिए घातक है।
- विश्व में पेयजल सीमित है, अतः इसकी सर्व उपलब्धता को बनाये रखने के लिए प्राकृतिक पेयजल स्रोतों का विवेकपूर्ण प्रबन्धन किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक देश में सामान्य जल वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए, तॉकि आम आदमी को निर्बाध रूप से पेयजल की आपूर्ति की जा सके।
- जल स्रोतों के दोहन तथा पेयजल वितरण को निजी हाथों में न दिया जाए।

आबादी के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत भी जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ जल संकट की समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल हो रही है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी जल संकट बना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहाँ पानी की किल्लत बढ़ी है, वहीं राज्यों के मध्य पानी से जुड़े विवाद भी गहराए हैं। भू–गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण धरती की कोख सूख गयी है। जहाँ मीठे पानी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं जल की लवणीयता बढ़ने से भी समस्या विकट हुई है। जल के अंधाधुंध दोहन से पारिस्थितिकी असन्तुलन भी बढ़ा है। जलवायु परिवर्तन से यह संकट कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। वृक्षों की बेरहमी से कटाई, वर्षा में कमी या असमान वर्षा, बढ़ता शहरीकरण एवं औद्योगीकरण, अधिक ऊर्जा की माँग, कृषि में जल का अधिक इस्तेमाल, भोगवादी जीवनशैली, जल जैसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के प्रति हमारी संवेदनहीनता व स्वार्थी प्रवृत्ति, भू–गर्भीय जल का अनियन्त्रित दोहन तथा इस पर बढ़ती हमारी निर्भरता, पारम्परिक जल स्रोतों व जल तकनीकों का अभाव, जल शिक्षा का अभाव, भारतीय संविधान में जल के मुद्दे को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना, निवेश की कमी तथा सुचिन्तित योजनाओं का अभाव आदि अनेक ऐसे कारण हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट ने जहाँ अनेक समस्याएँ पैदा की हैं, वहीं पानी की किल्लत को भी बढ़ाया है। मौजूदा समय में देश की आबादी प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसे में वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 150 से 180 करोड़ के बीच पहुँचने की सम्भावना है। ऐसे में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कितना दुरूह होगा, समझा जा सकता है। आँकड़ें बताते हैं कि स्वतन्त्रता के बाद प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता में 60 प्रतिशत की कमी आयी है।

मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक गाँव में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति के लिये नल–जल प्रदाय योजनाएँ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इन नलजल योजनाओं का संचालन–संधारण ग्राम स्तर पर समुदाय की भागीदारी के साथ ग्रामध्ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित की गयी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। संधारण कार्यों के लिए स्थानीय ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

उज्जैन जिले में जल जीवन मिशन की भूमिका के अंतर्गत जिले के प्रत्येक गाँव में हर घर को नल से जल की सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है, जो 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रत्येक गाँव में पेयजल आधारित अधोसंरचना का निर्माण करने तथा नल योजना पूर्ण होने के बाद उसके रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की सुविधा होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन/तकनीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थानीय मानव संसाधन को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य–उज्जैन जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम की परिकल्पना है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यात्मक नल जल कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति को एफएचटीसी के माध्यम से प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलेगा। साथ ही, निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्थिरता हो। जल जीवन मिशन में स्रोत स्थिरता के तत्व का उद्देश्य धूसर जल (प्रदूषित) प्रबंधन, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग करना है।

जल जीवन मिशन को नीचे से ऊपर, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन के उद्देश्यों में से एक है, ग्रामीण समुदाय अपने गाँव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन और रख–रखाव करना है। इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ मिशन विगत वर्षों से काम कर रहा था। चूंकि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, इसलिए जेजेएम द्वारा की गई प्रगति, इसकी चुनौतियों और भविष्य के समाधानों को ध्यान में रखना उचित होगा। जल जीवन मिशन द्वारा की गई प्रगति– लोकसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 10. 71 करोड़ (55%) परिवारों के घरों में दिसंबर 2022 के अंत तक नल के पानी की आपूर्ति होना सुनिश्चित किया गया है और 8.65 करोड़ ग्रामीण घरों को 2024 तक नल के पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। चुनौतियाँ–उज्जैन में जल आपूर्ति सम्बन्धी योजनाओं को लागू कराना एक चुनौतीपूर्ण रहा है। इस योजना के लाभार्थियों को नल के पानी की पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति नहीं होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। यह समस्या एनडीडब्ल्यूपी कार्यक्रम की 2018 सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में भी बताई गई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के तहत पहले कवर की गई लगभग 4.76 लाख बस्तियाँ आंशिक रूप से कवर की श्रेणी में या कोई सुरक्षित स्रोत नहीं की श्रेणी में वापस आ गईं हैं।

समस्या एवं समाधान– सुरक्षित संसाधनों के मुद्दें के साथ–साथ, एक बड़ी चुनौती जल संसाधनों का खराब संचालन और प्रबंधन है। क्षेत्रीय सतह सिंचाई योजनाओं से पानी की चोरी, स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पाइपलाइनों को नुकसान और भूजल का अत्यधिक दोहन प्रमुख मुद्दे हैं, जिन्हें जल जीवन मिशन द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

जल जीवन मिशन के आने से उज्जैन जिले के कई गाँवों के स्कूल अब पेयजल की समस्या से निजात पा चुके हैं। बच्चें अब स्कूलों में पानी की व्यवस्था होने से काफी खुश हैं। स्कूलों के अध्यापक और बच्चे एक स्वर में नल जल योजना लाने के लिये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। अब उनके स्कूल प्रांगण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उन्हें स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है। खाचरौद जनपद के ग्राम पचलासी के स्कूल में भी पानी की समस्या थी। यहां के हैण्ड पम्प में पानी सूख गया था। बच्चों की इस समस्या का निराकरण जल जीवन मिशन से हो गया है।

निष्कर्ष– भारत में पानी की कमी, सूखा और जलजनित बीमारियों का इतिहास ज्ञात है। भारत सरकार की ओर से पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कई प्रयास किये गये हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित एक महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन है। मध्यप्रदेश के प्रत्येक परिवार को इस मिशन के माध्यम से नल के पानी से जोड़ने का यह एक सफल प्रयास रहा है। उज्जैन जिले के सभी जरूरतमंद परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से ताजा एवं स्वच्छ जल की सुविधा प्राप्त होगी। मिशन का लक्ष्य 2024 तक भारत के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा है। इस प्रकार, जल जीवन मिशन को आने वाले वर्षों में हर घर में सुरक्षित, नियमित, स्वच्छ और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन जिसका लक्ष्य उज्जैन जिले में जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। यह हर घर के लिए एक बहुत ही बुनियादी आवश्यकता है। जेजेएम की सफलता जल स्रोतों के स्थायी प्रबंधन के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर के मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता पर निर्भर है और कार्यान्वयन में स्थानीय नवाचारों के साथ–साथ अधिक विविध एवं विकेन्द्रीकृत योजना, प्रभावी और स्मार्ट जल आपूर्ति प्रणालियों का समर्थन कर सकती है। जेजेएम देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए जल सम्बन्धी योजनाओ के दृष्टिकोण से जनसंख्या, कृषि और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ी हुई पानी की मांग के लिए बुनियादी ढांचे को भी संबोधित कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् 2012.
2. डॉ. अनिरूद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, सप्तम संस्करण, 2013 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
3. दुबे, सुशील कुमार (2005), ''औद्योगिक प्रदूषण एवं मानव जीवनः कानपुर नगर का भौगोलिक अध्ययन''।
4. शोधपत्र, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका,Vol.38.
5. दलावी, आदर्श. (2023), लक्ष्य से परेः जल जीवन मिशन के बाद स्थायी जल पहुंच सुनिश्चित करना, 2 सितंबर 2023 इंडिया वाटर पोर्टल पर।
6. अलक्षेंद्र अभिनव, कुमार अर्जुन, मेहता सिमी (2020) शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर्संबंधः चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना और समझना, जर्नल ऑफ रीजनल एंड सिटी प्लानिंग वॉल्यूम 31,पृष्ठ 285–300, दिसंबर 2020.
7. कुलकर्णी हिमांशु, असलेकर उमा (2018), भूजल की राजनीति भारतीय विकास समीक्षा।

*****